कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)

E-mail – dean-gmcshahdol@mp.gov.in ,
Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No. :- 07652 – 243222

क्रमांक/5562/स्था./एम.सी./2022 शहडोल, दिनांक 22.07.2022

विज्ञप्ति सूचना

Indian Council of Medical Research (ICMR) के पत्र क्रमांक/File No. 5/8/5/46 /ITRC/Implementation/2021/ECD-1 Dated: 20.05.2022 के आधार पर बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल अंतर्गत Multicentric research project titled "To study the effectiveness of a tailored implementation strategy to improve adherence to a Tuberculosis Preventive Treatment" कार्य हेतु 2 Project Staff (Junior Medical officer-1 Post and Project Technician-1 Post) की अस्थायी नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष के लिए (दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2023) तक निश्चित मासिक मानदेय पर निम्नलिखित शर्तो के आधीन की जानी है। जिस हेतु आवेदन पत्र 16.08.2022, दिन – मंगलवार, सायं 05 बजे तक आमंत्रित किये जाते है :-

❖ पदों का विवरण :-

स.क्र.	पद का नाम	पद संख्या	श्रेणी
1	Junior Medical officer	01	सामान्य
2	Project Technician	01	सामान्य

❖ पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं मासिक मानदेय :-

S. No.	Name of Post	Essential Qualification	Desirable Qualification and Experience	Emoluments	Age limit
1	**Junior Medical officer**	1. MBBS/B. V. Sc & AH/ BAMS/BHMS/BDS/BUMS 2. 2 year experience in relevant field or research experience	• Preference will be given to those having medical background • MPH • MD Medicine or Pediatrics • Knowledge of Computer Applications • Experience in Clinical data collection • Experience of working in Public Health/Medical Research Projects	Rs 60000/- Consolidated	40 years
2	**Project Technician**	12th Pass in Science Subjects or equivalent with 1 year relevant experience from a recognized centre	• Knowledge of Computer Applications • Experience in Clinical data collection • Experience of working in Public. Health/Medical Research Projects	16000/- per month (Consolidated)	30 years

Scanned with CamScanner

Nature of Duties:-

S.No.	Name of Post	Desirable Qualification and Experience	Duration
1	**Junior Medical officer**	❖ Data collection, clinical case record maintenance. ❖ Field Visit at Shahdol district ❖ Coordinate with the ICMR for periodic and timely sending of CRFs, data and reports. ❖ Assisting the Site Investigators in research activities relating to the project. ❖ Any other duty assigned by the PI/Co-PI/ supervisory officer from time to time	15 months or till the duration of project whichever is less
2	**Project Technician**	❖ Field Visit at Bhopal district ❖ Data collection, clinical case record maintenance. ❖ Coordinate with the ICMR for periodic and timely sending of CRFs, data and reports. ❖ Assisting the Site Investigators in research activities relating to the project. ❖ Any other duty assigned by the PI/Co-PI/ supervisory officer from time to time	15 months or till the duration of project whichever is less

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	:-	16.08.2022, दिन : मंगलवार
समय	:-	सायं 05 बजे तक
स्थान	:-	कार्यालय अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)
साक्षात्कार अथवा परीक्षा की तिथि	:-	पृथक से महाविद्यालय की अधिक वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG एवं नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्रसारित की जावेगी।

सेवा की शर्तें :-

1. यह सेवायें पूर्ण रूप से अस्थायी हैं एवं ICMR द्वारा अस्थायी रूप से सेवायें लिए जाने हेतु प्रदान की गई स्वीकृति/अनुमति के आधार पर ली जा रही हैं। अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. अभ्यार्थियों के आयु (Age limit) की गणना दिनांक 31.12.2022 के अनुसार की जावेगी।
3. उपरोक्त अस्थायी नियुक्ति बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल के अंतर्गत प्रथमतः 01 वर्ष के लिए (दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2023) तक ली जा रही हैं। ICMR से पृथक से प्राप्त स्वीकृति/अनुमति के आधार पर उक्त अवधि घटाई-बढ़ाई जा सकती है।
4. अंतिम तिथि तक प्राप्त होने वाले अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र के सूक्ष्म परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यार्थियों की सूची तथा पात्र अभ्यार्थियों के मूल दस्तावेजों के परीक्षण एवं सत्यापन की तिथि तथा नियुक्ति हेतु साक्षात्कार/मौखिक अथवा लिखित परीक्षा संबंधी सूचना महाविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।
5. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. नियुक्ति संबंधी जानकारी अथवा सूचना बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल की अधिकृत वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी। अतः समय-समय पर वेबसाइट का अवलोकन करें।
7. चयनित अभ्यार्थी को किसी भी प्रकार का आवास या छात्रावास महाविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

8. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी आर्हता की जांच स्वयं कर लें और आर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर अथवा उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।

9. आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच लंबित न होने संबंधित शपथ पत्र स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. चयनित चिकित्सक को किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

11. सभी विवाद माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के क्षेत्राधिकार के आधीन होंगे।

12. चयनित अभ्यार्थियों को अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर कार्यालय में 07 कार्य दिवस के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा।

13. चयनित अभ्यार्थी को आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकता है।

14. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में मुख्य अन्वेषणकर्ता या सह अन्वेषणकर्ता अधिकारी के प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने के उपरांत संबंधित का नियुक्ति आदेश बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा एवं संबंधित अभ्यार्थी को पुनः नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।

15. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य अन्वेषणकर्ता (डॉ. आकाश रंजन सिंह, सहायक प्राध्यापक, कम्प्युनिटी मेडिसिन विभाग) या सह अन्वेषणकर्ता अधिकारी बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल होंगे।

16. उम्मीदवार के चयन के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

निरर्हतायें :-

- विकृत्त चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- **नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा :-** किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- **विवाह संबंधी :** जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार, जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 02 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26.01.2001 को या उससे पश्चात हुआ हो, तो ऐसे उम्मीदवार नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक को शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।

Scanned with CamScanner

- **कदाचरण संबंधी :-** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- **स्वास्थ्य संबंधी :-** मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होने पर किसी भी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये, तथा वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी करें। चिकित्सकीय परीक्षण में अयोग्य पाए जाने पर नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

Scanned with CamScanner